(5)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2580–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 29–04–13 पारित अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 28/2002–03 अपील.

1– राममिलन पिता शिवमूरति राम
2– रामरहीस पिता शिवमूरति राम
सभी निवासी ग्राम ढावा, तिवरियान,
तह0 हनुमना जिला रीवा

——— आवेदकगण

विरूध्द

1– कुन्जबिहारी पिता स्व. सूर्यप्रताप तिवारी
2– गुलावप्रसाद पिता स्व. सूर्यप्रताप तिवारी
3– मोतीलाल पिता स्व. सूर्यप्रताप तिवारी
सभी निवासी ग्राम ढावा, तिवरियान,
तह0 हनुमना जिला रीवा
4– श्रीमती देवकली पुत्री सूर्यप्रताप पत्नि रामबिहारी मिश्र,नि0 ग्राम मुड़ेले, तह0 लालगंज, जिला मिर्जापुर, उ0प्र0

——— अनावेदकगण

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक– अनावेदकगण

<u>आदेश</u>

(आज दिनांक 5 . 5 . 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 28/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–04–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का व्दारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ग्राम ढावा तिवरियान की भूमि खसरा नं0 896 रकबा 0.21 डि. पर खसरा वर्ष 1999–2000 में कॉलम नं0 10 में आबादी एवं कॉलम नं0 12 में राममिलन, रामरहीस का नाम लिखे जाने से इस प्रविष्टि के संशोधन हेतु धारा 116 के अन्तर्गत आवेदनपत्र सूर्यप्रताप ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19–12–2000 व्दारा आवेदनपत्र इस आधार पर खारिज किया कि छाया प्रति व्दितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मान्य योग्य नहीं है। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8–8–02 व्दारा अपील खारिज की। व्दितीय अपील विव्दान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–4–13 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अपर जिला न्यायाधीश के नियमित सिविल अपील क0 13ए/10 पारित निर्णय दिनांक 10–02–11 के अनुसार स्वत्व अधिकार पाने का दावा निरस्त किया जा चुका है तथा कॉलम नं0 12 में बिना किसी समक्ष प्राधिकारी के पटवारी को प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है। अतः अपर आयुक्त व्दारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये हैं। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का निस्तार व कब्जा है। तहसील न्यायालय ने भी स्थल जॉच में आवेदकगण का कब्जा होना पाया है। पटवारी व्दारा मौका जॉच के पश्चात मौका अनुसार खसरे में प्रविष्टि की जा सकती है। अनावेदकगण व्दारा संहिता की धारा 116 के साथ खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी, इसलिये आवेदनपत्र खारिज करने में तहसील न्यायालय व्दारा कोई त्रुटि नहीं

की थी। उनका तर्क है कि अपर जिला न्यायाधीश व्दारा व्यवहार अपील क0 13ए/10 में पारित निर्णय दिनांक 10–02–11 के विरूध्द मान. उच्च न्यायालय में अपील क0 410/11 लम्बित है, किन्तु अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायालय के अपील में पारित निर्णय के आधार पर निगरानी स्वीकार करने के पूर्व इस बिन्दू पर सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि पटवारी को खसरे के कॉलम नं0 12 में इन्द्राज करने की अधिकारिता नहीं है। पटवारी व्दारा खसरे में अधिकारिता–रहित प्रविष्टि की गयी है। तहसील न्यायालय ने तकनीकी आधार पर अनावेदकगण का आवेदनपत्र खारिज किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी ने स्वत्व के संबंध में वाद विचाराधीन होने से अपील खारिज की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में आवेदकगण व्दारा व्यवहार वाद क0 70ए/09 प्रस्तुत किया गया था जो निर्णय दिनांक 13–07–10 व्दारा खारिज किया गया है तथा अपील क0 13–ए/2010 भी निर्णय दिनांक 10–02–11 व्दारा खारिज की जा चुकी हैं। व्यवहार न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का कोई स्वत्व होना मान्य नहीं किया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ कालम नं0 12 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के पटवारी को प्रविष्टि करने का अधिकार नहीं है। खसरा वर्ष 1999–2000 में पटवारी व्दारा खसरे में किये गये इन्द्राज को निरस्त करने हेतु अनावेदकगण के पिता सूर्यप्रताप व्दारा 25–7–2000 को अर्थात एक वर्ष के भीतर आवेदनपत्र प्रविष्टि सुधार हेतु तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का व्दारा खसरा पंचसाला में बिना सक्षम प्राधिकारी के प्रविष्टि करने की अधिकारिता नहीं है, इसलिये पटवारी व्दारा की गयी अधिकार–विहीन प्रविष्टि को तहसील न्यायालय ने तकनीकी आधार अर्थात खसरा पंचसाला की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

नहीं करते हुए प्रमाणित प्रति की छाया प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर स्थिर रखने में त्रुटि की है। यदि अनावेदक व्दारा आवेदनपत्र के साथ प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी थी तो उसे प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु तहसील न्यायालय व्दारा अवसर दिया जाना चाहिये था, किन्तु इस आधार पर पटवारी की अधिकारिता रहित खसरा प्रविष्टि को यथावत रखना विधिसंगत मान्य नहीं किया जा सकता।

6/ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मऊगंज जिला रीवा के समक्ष आवेदकगण रामपदारथ आदि व्दारा व्यवहार वाद क0 70ए/09 प्रस्तुत किया गया। व्यवहार न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–10–07 की प्रथम कण्डिका में यह अंकित किया है कि –

"यह वाद ग्राम ढावा तिवरियान तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 की भूमि खसरा क0 896 के रकबा 0.07 ए. का भूमिस्वामी वादी क0–3 (राममिलन) को घोषित किये जाने तथा उक्त भूमि के अंश भाग 0.14 ए.का भूमिस्वामी वादी क0–5 (रामरहीस) को घोषित किये जाने तथा ख0क0 902/2 रकबा 0.01 ए. का भूमिस्वामी वादी क. 1 (रामपदारथ) व 4 (बुद्धसेन) को घोषित किये जाने तथा राजीनामा आदेश दिनांक 20–10–86 के शून्य घोषित किये जाने बावत पेश किया गया है।"

इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व घोषणा तथा राजीनामा को शून्य घोषित किये जाने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया। व्यवहार न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13–07–10 व्दारा वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया गया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि अपर जिला न्यायाधीश मऊगंज के नियमित अपील कमांक 13ए/10 में पारित आदेश दिनांक 10–2–11 के अनुसार उत्तरवादीगण/आवेदकगण का स्वत्व अधिकार पाने का दावा निरस्त किया जा चुका है। अपर आयुक्त के अभिलेख में मान. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के

5/5/14

आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति उपलब्ध है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि मान. उच्च न्यायालय में व्दितीय अपील क0 410/2011 आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत की गयी है जिसमें मान. उच्च न्यायालय व्दारा दिनांक 01–04–2011 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मँगाने के आदेश दिये हैं। व्यवहार वाद एवं प्रथम सिविल अपील में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का स्वत्व होना मान्य नहीं किया गया है, इस कारण सिर्फ व्दितीय अपील मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से अपर आयुक्त का आदेश त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता। यदि आवेदकगण व्दितीय अपील में सफल होते हैं तो तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जा सकते हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–04–13 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0